मेरठ विकास प्राधिकरण

की

105 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 26—03—2015

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 105वीं बैठक दिनांक 26–03–2015 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 105वीं बैठक कार्यालय मण्डायुक्त सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 26–03–2015 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री राजेश कुमार,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री पंकज यादव,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री ए0के0 दूबे	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ	सदस्य
4.	श्री अजय कुमार मिश्रा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री राधे श्याम मिश्रा	सहायक निदेशक उद्योग (प्रतिनिधि अपर निदेशक, उद्योग) मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री पारस नाथ	अपर निदेशक, संयुक्त कोषागार एवं पेन्शन, मेरठ (वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित)।	सदस्य

7.	श्री आर0के0 गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ (प्रतिनिधि आवास आयुक्त, मेरठ)	सदस्य
8.	श्री एस0के0 जैन	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री मनोज कुमार	सहायक वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि आयुक्त, एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद।	सदस्य
10.	डा0 राजेश सिंह	शासन द्वारा नामित	सदस्य
11.	श्री परमिन्दर इशू	शासन द्वारा नामित	सदस्य
12.	श्रीमती इरशाद जहाँ	शासन द्वारा नामित	सदस्य
13.	श्रीमती मिष्ठा देवी	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
14.	श्री राजेन्द्र सिंह	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
15.	श्री पंकज कतीरा	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
16.	श्री विजय आनन्द	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
17.	श्री सौम्य श्रीवास्तव	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक / सदस

प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03–12–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

104वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की माननीय बोर्ड द्वारा पुष्टि की गयी।

105वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–03–2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव--

मद सं0–01	वित्तीय वर्ष 2014–15 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	वित्तीय वर्ष 2014–15 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 का प्रस्तावित आय–व्ययक मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के वित्त नियन्त्रक द्वारा पटल पर प्रस्तुत किया गया। बजट प्रोविजनल स्वीकृत किया गया। अन्तिम स्वीकृत मदो पर चर्चा के बाद प्रदान की जायेगी।
मद सं0–02	मेरठ नगर हेतु रेल आधारित मास ट्रान्जिट सिस्टम (मेट्रो) हेतु फिजिबिलिटी स्टडी/डी0पी0आर0 तैयार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव	माननीय बोर्ड द्वारा मेरठ नगर हेतु रेल आधारित मास ट्रान्जिट सिस्टम (मेट्रो) हेतु फिजिबिलिटी स्टडी/डी0पी0आर0 तैयार कराने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
मद सं0–03	उ0प्र0 में "सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0)" के आधार पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशनों के विकास हेतु प्राधिकरणों में प्रवृत्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन के सम्बन्ध में	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

मद सं0—04	मा0श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत अर्ध्दनिर्मित 1208 भवनों को पूर्ण कर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। शासकीय धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के 1208 भवनों के अन्तर्गत, अवशेष निर्माण/विकास कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु प्राधिकरण के सँसाधनों से फेज़वाईज पूर्ण कर, दुर्बल आय वर्गीय (E.W.S.) भवनों के रूप में, प्रचलित आरक्षण नियमावली **के अनुसार निस्तारित किये जाने की 'स्वीकृति प्रदान' की गई।** विभिन्न शासकीय विभागों से प्राप्त निःशुल्क भूमि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा, प्रश्नगत दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि से—'प्रोरॉटा बेसिस' पर (समानुपातिक रूप से) किया जा सकेगा।

Asinha

मद सं0—05	गेल गैस लि0 को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की गंगा नगर योजना के पॉकेट बी में सी0एन0जी0स्टेशन की स्थापना हेतु व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी—01 क्षेत्रफल 1552.50 वर्ग मीटर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चर्चा उपारान्त सी0एन0जी0 संयन्त्र लगाने हेतु प्रस्तावित दर पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए यह यह निर्देश दिया गया कि संयन्त्र स्थापित होने के उपरान्त कुल विक्री का 10 प्रतिशत भाग नियमित रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मेरठ विकास प्राधिकरण को भुगतान किया जायेगा।
मद सं0—06	उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को अंगीकृत करते हुए निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमावली को दृष्टिगत रखते हुए, विगत वर्षो में की गयी नियुक्तियों के विनियमितिकरण करने का प्रस्ताव, पृथक से प्रस्तुत किया जाये।
मद सं0—07	प्राधिकरण की आवासीय कालोनियों में पथ प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से कराने हेतु 13 मीटर एलीवेटर कय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 13 मीटर एलीवेटर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

Asunha

मद सं0–08	मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सेक्टर 2 में स्थित उच्च आय वर्ग भूखण्ड सं0 ए0पी0–14 क्षेत्रफल 462.00 वर्ग मीटर का विकास न होने के कारण मा0 न्यायालय में चले केस में के दृष्टिगत आवेदिका की किश्तों की बकाया धनराशि ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत जमा कराने हेतु प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा शताब्दीनगर योजना के सेक्टर 2 में स्थित उच्च आय वर्ग भूखण्ड सं0 ए0पी0–14 क्षेत्रफल 462.00 वर्ग मीटर के ओ0टी0एस0 कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0–09	सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गो के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति विषयक शासनादेश संख्या 3188/आठ–1– 13–80 विविध/2010 दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर (iii) में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव ड्राप किया गया।
मद सं0 10	मेरठ दिल्ली मार्ग पर ग्राम दौलतपुर फरखाबाद उर्फ कायस्थ गावड़ी के खसरा नं0 825 व 826 क्षेत्रफल 2.2010 है0 स्थित परगना व तहसील मेरठ जिला मेरठ का भू–उपयोग मेडिकल कालेज की	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा शिक्षण संस्था का भू–उपयोग परिवर्तन की संस्तुति करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

	स्थापना हेतु कृषि से सार्वजनिक सुविधायें (शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	
मद सं0 11	वाहन चालक संवर्ग के पदों को राजकीय विभागों के सादृश्य 14 जून, 2012 से पुनर्गठित किये जाने तथा पुनर्गठन के उपरान्त उपलब्ध पदोन्नति के पदों पर अर्ह वाहन चालकों की पदोन्नति एवं वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की गयी कि पुर्नगठन में अधिसंख्य पदों के सापेक्ष विनियमितीकरण में तत्सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
मद सं0 12	मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत समूह–'ग' व 'घ' के कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	वाहन भत्ता की स्थिति अन्य विकास प्राधिकरणो, जो मेरठ विकास प्राधिकरण की श्रेणी के है, से स्थिति ज्ञात कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0 13	मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राममनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट एफ में कैंची उद्योग के आवंटियों की एसोसियेशन "मेरठ सीजर मैन्यूफेक्चरर्स स्पेशल परपज वहीकल (मेसमा एस0पी0पी0)" की माँग पर लोहियानगर योजना की पॉकेट "एफ" का नाम "मरहूम हाजी अब्दुल हमीद आखून जी नगर" रखे जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा डा0 राममनोहर लोहियानगर योजना के कैंची उद्योग के पॉकेट "एफ" का नाम "आखून नगर" रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
मद सं0 14	नगरीय क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर सीमित गहराई तक मिश्रित भू–उपयोग निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।	पृथक से शासनादेश होने के कारण प्रस्ताव ड्राप किया गया।
मद सं0 15	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत 2.5 एफ0ए0आर0 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त नीलामी प्रक्रिया अनुमोदित की गयी। एफ0ए0आर0 से सम्बन्धित प्रस्ताव पूर्व से शासन को सन्दर्भित हैं, अतः शासन के निर्णय की प्रतीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया।
मद सं0 16	उ0प्र0 शासन की निम्न–मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के लिए महत्वाकॉक्षी समाजवादी आवास योजना के कियान्वयन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण की दिल्ली रोड पर स्थित शताब्दीनगर आवासीय योजना के	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन पद्धति से स्वीकृत प्रस्ताव, अवलोकित करते हुए निर्णय की पुष्टि की गयी।

	सेक्टर–4 सी (पार्ट) के अन्तर्गत 18133.00 वर्ग मी0 भूमि सार्वजनिक सुविधायें भू–उपयोग तथा 21890.00 वर्ग मी0 भूमि व्यवसायिक उपयोग को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	
मद सं0 17	मेरठ विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा पुनः बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कराकर आगामी बोर्ड में रखने के निर्देश दिये गये।
मद सं0 18	मेरठ महानगर के निर्मित क्षेत्र (पुराने शहर) की समस्याऐं एवं सुझाव।	विचार विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कराकर आगामी बोर्ड में रखने के निर्देश दिये गये।
मद सं0 19	इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मै0 अंसल लैण्डमार्क टाउनशिप प्रा0 लि0 (कन्सॉर्सियम) द्वारा प्रस्तुत ग्राम मलियाना में 54.0 एकड भूमि पर डी.पी.आर. की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत तलपट मानचित्र, सजरा प्लान पर स्थिति दर्शाते हुए, सरकारी भूमि के परीक्षण हेतु, जिलाधिकारी को भेजा जाय। जिलाधिकारी सम्बन्धित तहसीलदार से 1 माह की अवधि के अन्दर परीक्षण करायेगे, यदि 1 माह की अवधि के अन्दर, तलपट मानचित्र पर परीक्षण आख्या, प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, मानकर प्राधिकरण

		द्वारा मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। तलपट मानचित्रों पर शासनादेशों के क्रम में सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर नियत समयावधि में निस्तरण किया जाये।
मद सं0 20	विज्ञापन व्यय में कमी लाने हेतु संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की वेबसाईट के अतिरिक्त NIC की वेबसाईट पर भी प्राधिकरण के विज्ञापन प्रकाशित कराये जाये।
105वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26—03—2015 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव—		
अनुपूरक मद सं0—01	मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहिया नगर, वेद व्यासपुरी, गंगानगर एवं शताब्दीनगर के अन्तर्गत अर्जित भूमि के अतिरिक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया तथा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी, डा0 राम मनोहर लोहिया नगर, गंगा नगर एवम् शताब्दी नगर योजना में आवंटन से अवशेष भूमि का ऑडिट इस आशय से करा लिया जाये कि योजनावार विक्रय योग्य कितनी भूमि अवशेष है तथा उसका मूल्य कितना है प्राधिकरण की वित्तीय भार ग्रहण करने की स्थिति का आकलन, अन्य प्राधिकरणों से भी इस तरह के प्रकरणों में की गयी कार्यवाही एवम् विधिक स्थिति आदि का विवरण शासनादेश संख्या—1727 / 9—आ—3—2001—

		87एल0ए0 / 2000 लखनऊ दिनांक 16 जून, 2001 के अनुसार जिलाधिकारी मेरठ की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष रखते हुए कमेटी की अनुशंसा के अनुसार प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
अनुपूरक मद सं0–02	एडवोकेट श्री राजीव कुमार त्यागी व श्री सतीश चन्द्र की फीस निर्धारण के सम्बन्ध में।	विस्तृत चर्चा उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अधिवक्ता की श्रेणी के रूप में उसकी फीस रूपये 30,000 / – (तीस हजार रूपये मात्र) स्वीकृत करते हुए **यह निर्देश दिया गया कि महत्तवपूर्ण वादों की प्रकृति के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा** अधिवक्ता को नामित किया जायेगा।
अनुपूरक मद सं0–03	गंगानगर आवासीय योजनार्न्तगत एसोसियशन ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज के पक्ष में आवंटित शैक्षिक भूखण्ड क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर एंव शैक्षिक भूखण्ड 37024 वर्ग मीटर के सापेक्ष प्रतिकर मद में देय धनराशि के ब्याज के सम्बन्ध में।	**विस्तृत चर्चा उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव** अस्वीकृत किया गया तथा निर्देश दिये गये कि जारी माँग पत्र अनुसार अतिरिक्त प्रतिकर की सब्याज बकाया धनराशि वसूली की कार्यवाही की जाये।
अनुपूरक मद सं0–04	प्राधिकरण की शताब्दी नगर, वेदव्यासपुरी व लोहिया नगर योजनाओं हेतु अर्जित भूमि पर बनी आबादी की भूमि को अर्जन मुक्त करने सम्बंधी प्रस्ताव।	मा0 प्राधिकरण बोर्ड सदस्यगण श्री राजेन्द्र सिंह, पार्षद एवं श्री पकंज कतीरा, पार्षद तथा श्री विजय आनन्द अग्रवाल, पार्षद एवं श्रीमती मिष्ठा देवी पार्षद द्वारा दिये

		गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव का परीक्षण प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है, इस प्रस्ताव को परीक्षण कराकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में ऐसे प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष न दिये जाने की हिदायत दी गयी।
अनुपूरक मद सं0–05	राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–204 के क्रम में नए विकास में मिश्रित उपयोग तथा ट्रान्जिट ओरिएन्टेट डेवल्पमेन्ट (टी.ओ.डी.) के लिये जोनिंग रेगुलेशन्स, 'प्लानिंग नॉर्म्स' एवं भवन उपविधि का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त शासनादेश सं0 03/8–3–15–198 विविध/14 दिनांक 4 मार्च 2015 द्वारा जारी "राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–204 के क्रम में नए विकास में मिश्रित उपयोग तथा ट्रान्जिट ओरिएन्टेट डेवल्पमेन्ट (टी.ओ.डी.) के लिये जोनिंग रेगुलेशन्स, 'प्लानिंग नॉर्म्स' एवं भवन उपविधि का निर्धारण" सम्बन्धी उपविधि को अंगीकृत किया गया।
अनुपूरक मद सं0–06	दण्ड ब्याज सहित परिसम्पत्तियों का मूल्य सम्पत्ति की वर्तमान कीमत से अधिक होने पर पूर्व में जमा धनराशि समायोजित करते हुए दुर्बल आय वर्ग श्रेणी व अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों से चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय किश्त में शामिल दर से साधारण ब्याज लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मााननीय बोर्ड द्वारा, शासन द्वारा जारी ओ0टी0एस0–2002 (यथा संशोधित) की तर्ज पर व स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्ताव तैयार कर अगली बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0–07	मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेद व्यासपुरी, डा0राम मनोहर लोहियानगर व मेजर ध्यानचन्द नगर योजनाओं में समानता के आधार पर उन किसानों को भी अर्जित भूमि का प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिनके द्वारा भू–अर्जन अधिनियम की धारा–18 व 28ए के अन्तर्गत कोई वाद योजित नहीं किये गये है।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड के नगर निगम द्वारा नामित सदस्य श्री विजय आनन्द अग्रवाल, पार्षद द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की 105 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–03–2015 के लिये प्राप्त हुए एजेण्डे में रखे गये कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति के सम्बन्ध में अपना आपत्ति पत्र दिनांकित 26–03–2015 मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि श्री अग्रवाल के आपत्ति पत्र का समेकित तौर पर परीक्षण करा लिया जाये। यदि कोई बिन्दु ऐसा हो जिस पर प्रस्ताव लाये जाने की आवश्यकता हो, प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में लाया जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(सौम्य श्रीवास्तव)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(राजेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(आलोक सिन्हा)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।